न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4136–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.7.2013 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प खरगोन, प्रकरण कमांक 16/बी–103/47–क 3/2010–11.

श्रीमती कमला पति विपिन गौर,
निवासी गावशिंदे नगर, खण्डवा रोड,
खरगोन, तहसील व जिला खरगोन,म.0प्र0

.....आवेदिका

विरूद्ध

1 मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि–
पंजीयक (स्टाम्प) खरगोन,
2. उप पंजीयक (स्टाम्प) खरगोन,
3. रमेशचन्द्र पिता कन्हैयालाल गौर,
निवासी नूतन नगर, खरगोन, म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री हेमन्त खोड़े, अभिभाषक, आवेदिका
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 व 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/9/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प खरगोन द्वारा पारितआदेश दिनांक 27.7.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि महालेखाकार ग्वालियर निरीक्षण दल द्वारा उप पंजीयक कार्यालय खरगोन का निरीक्षण 04/08 से 03/10 तक की अवधि का किया गया । निरीक्षण में सह स्वामित्व विलेख कमांक अ1/1769 दिनांक 3.12.2009 को दानपत्र मानकर राजस्व हानि का आक्षेप लिया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा उप पंजीयक से विलेख की प्रतिलिपि प्राप्त कर अधिनियम की धाा 47–क(3) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 27.7.2013 को आदेश पारित किया जाकर 5488/– मुद्रांक शुल्क निर्धारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 3488/– देय होना निर्धारित किया गया । साथ ही अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत रूपये 1000/– शास्ति अधिरोपित की गई । इस प्रकार कुल रूपये 4488/– जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

1. अधिनियम की धारा 47–क(3) के अंतर्गत आरंभ की जाने वाली कार्यवाही में केवल अंतरण की गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य के सम्बन्ध में ही जांच की जा सकती है । दस्तावेज के स्वरूप के सम्बन्ध में जांच करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिये उसके आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आरंभ की गई कार्यवाही एवं उसमें पारित ओदश विधि के प्रतिकूल होने से निरस्ती योग्य है ।
2. कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आडिट पार्टी की आपत्ति अनुसार दस्तावेज को दान पत्र मानकर आलोच्य आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क की मांग की गई है, जो कि शासन की ओर से प्रमाण प्रस्तुत किये बिना ही केवल रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है ।

3. कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन विलेख को विक्रय पत्र नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रश्नाधीन दस्तावेज में प्रतिफल देने या भविष्य में देने का कोई उल्लेख नहीं है । उक्त दस्तावेज को केवल सहस्वामित्व पत्र ही माना जा सकता है ।
4. प्रश्नाधीन विलेख से सम्पत्ति में सहस्वामित्व/हित महिला के पक्ष में वैष्ठित हुए हैं और विधि अनुसार जब तक किसी सम्पत्ति में उसके और धारक के मध्य विभाजन सम्पत्ति के सम्बन्ध में नहीं होता, तब तक धारक की सम्पत्ति में समान हक होगा । स्पष्ट है प्रश्नाधीन सम्पत्ति में आवेदिका का 50 प्रतिशत हक है और स्टाम्प अधिनियम में संशोधन के पूर्व 49 प्रतिशत तक 1 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क एवं1 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क देय है तथा अधिक शेयर पर यदि शुल्क प्रभार है, तो उस अनुसार ही शुल्क का निर्धारण अधिक शेयर पर किया जा सकता है, सम्पूर्ण अंतरित शेयर पर नहीं ।

4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि आवेदिका को प्रश्नाधीन सम्पत्ति में से 90 प्रतिशत स्वामित्व प्रदान किया गया है, इसलिये प्रश्नाधीन विलेख दान पत्र मानकर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करने में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण में संलग्न बिलेख से स्पष्ट है कि सम्पत्ति के स्वामी द्वारा आवेदिका के उसकी पुत्रवधू होने के कारण सम्पत्ति में से 90 प्रतिशत का स्वामित्व प्रदान किया गया है । इसी विलेख के पृष्ठ 4 पर उल्लेख है कि उक्त विलेख के आधार पर आवेदिका को सम्पत्ति को गिरवीं रखने, दान करने, वसीयत करने एवं बैंक से ऋण प्राप्त करने के समस्त अधिकार
रहेंगे । अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 22 के परंतुक खण्ड 'च' में प्रावधानित है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति में अपनी पत्नी या पुत्र या पुत्री या पुत्रवधू का नाम

पृथकतः या सयुक्ततः सहस्वामी के रूप में सम्मिलित करता है, वहां सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत मुद्रांक शुल्क देय होगा । इस प्रकरण में यह स्थिति नहीं है क्योंकि इसमें सम्पत्ति के 90 प्रतिशत भाग का हस्तांतरण किया जाना स्पष्ट है । अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा निर्धारित मुद्रांक शुल्क उचित है और चूंकि आवेदिका द्वारा मुद्रांक शुल्क अपवंचन किया गया है, अतः उस पर अधिरोपित शास्ति भी उचित है । इस प्रकार कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

8/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक आर–4137–दो/13, आर–4148–दो/13 एवं आर–4149–दो/13 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश एक प्रति उक्त प्रकरणों में भी संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर